



Neutral Citation No. - 2026:AHC:53591

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 10628 वर्ष 2026

सौरभ एवं 3 अन्य

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: शिव कुमार केसरी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 83

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख पर मौजूद सामग्री का परिशीलन किया गया।

बीएनएसएस (2023) की धारा 528 के तहत यह आवेदन इस प्रार्थना के साथ दिया गया है कि इस आवेदन को स्वीकार किया जाए और थाना जेथरा, जिला एटा के वाद संख्या 25423 वर्ष 2024 (कप्तान सिंह बनाम सौरभ एवं अन्य), धारा 323, 506, 326-क भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत विद्वान अपर सिविल न्यायाधीश (जू.डि.)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, एटा द्वारा पारित आक्षेपित समन आदेश दिनांक 07.11.2025 सहित संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को रद्द किया जाए और उक्त मामले की आगे की कार्यवाही पर रोक लगाने की भी प्रार्थना की गई है।

यह तर्क दिया गया है कि इस मामले में सूचनादाता कप्तान सिंह, जिसे घायल बताया गया है, पर तेजाब फेंकने के झूठे आरोप के साथ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। आगे यह तर्क दिया गया कि विवेचना अधिकारी ने उस डॉक्टर का बयान दर्ज किया जिसने चिकित्सा परीक्षण किया था और चोट की रिपोर्ट में तेजाब के हमले से चोट लगने का उल्लेख किया था। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि डॉक्टर ने सूचनादाता/घायल कप्तान सिंह द्वारा दिए गए बयान के आधार पर चोट तेजाब से लगने की बात दर्ज की है, जिससे पता चलता है कि चोट तेजाब के हमले से नहीं लगी थी बल्कि यह बनावटी थी और झूठे आरोप के साथ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। विवेचना के बाद विवेचना अधिकारी द्वारा अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गई जिस पर सूचनादाता द्वारा विरोध याचिका दाखिल की गई, जिसे परिवार के रूप में माना गया। घायल और अन्य गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 200 और 202 के तहत दर्ज किए गए, जिसके आधार पर विद्वान न्यायालय द्वारा न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग किए बिना समन आदेश दिनांक 07.11.2025 पारित किया गया है, इसलिए समन आदेश सहित मामले की संपूर्ण कार्यवाही को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



विद्वान शासकीय अधिवक्ता ने प्रार्थना का विरोध किया और तर्क दिया कि सूचनादाता द्वारा नरेंद्र सिंह और अन्य के विरुद्ध मारपीट करने के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 386/22, धारा 323, 325, 504 भारतीय दंड संहिता के तहत मामला दर्ज कराया गया था जिसमें आरोप पत्र दाखिल किया गया था। आवेदकगण उस मामले को वापस लेने के लिए सूचनादाता पर दबाव बना रहे थे। घटना के दिन सूचनादाता अपने घर से एटा जा रहा था। रास्ते में आवेदकगण उसे मिले और समझौते के लिए दबाव बनाने की कोशिश की जिसे उसने मना कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप आवेदक सौरभ ने उसके शरीर पर तेजाब फेंक दिया जिससे उसके निचले अंगों पर चोटें आईं। उसने उपचार कराया और फिर थाने में वर्तमान प्राथमिकी दर्ज कराई और जिला अस्पताल, एटा में उसका चिकित्सा परीक्षण कराया गया जिसमें चोटें तेजाब से जलने के कारण पाई गईं और उन्हें निगरानी में रखा गया तथा सर्जन को संदर्भित किया गया। सूचनादाता ने प्राथमिकी के तथ्यों का समर्थन किया है लेकिन अंतिम रिपोर्ट दाखिल करने के लिए विवेचना अधिकारी ने गवाहों के बयान वैसे दर्ज नहीं किए बल्कि कुछ अन्य व्यक्तियों के बयान दर्ज करके अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी जिस पर सूचनादाता द्वारा विरोध याचिका दाखिल की गई जिसे परिवाद माना गया और सूचनादाता तथा अन्य गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद संबंधित विद्वान न्यायालय ने न्यायिक मस्तिष्क का उपयोग करते हुए प्रश्नगत आदेश पारित किया है, इसलिए आदेश में कोई अवैधता या अनुचितता नहीं है।

मामले के तथ्यों और परिस्थितियों, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान शासकीय अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों तथा अभिलेख के परिशीलन, प्राथमिकी की अन्तर्वस्तु, सूचनादाता कप्तान सिंह की चोट की रिपोर्ट और उसके बयानों तथा अन्य गवाहों पीडब्लू-1 हरिकेश, पीडब्लू-2 अशोक, पीडब्लू-3 छत्रपाल, पीडब्लू-4 धीरेश कुमार, पीडब्लू-5 जयवीर सिंह के बयानों और प्रश्नगत आदेश पर विचार करते हुए, प्रथम दृष्टया आवेदकगण के विरुद्ध मामला बनता हुआ प्रतीत होता है और जिला अस्पताल, एटा के चिकित्सा अधिकारी द्वारा तैयार की गई चोट की रिपोर्ट भी तेजाब से जलने के कारण चोट लगना दर्शाती है। इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि परिवादी/घायल और अन्य गवाहों के बयान झूठे हैं और डॉक्टर ने भी परिवादी के साथ मिलीभगत करके चोट की रिपोर्ट तैयार की है। इस प्रकार, विद्वान न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.11.2025 में कोई अवैधता या अनुचितता प्रतीत नहीं होती है, बल्कि यह आवेदन मेरिट विहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

तदनुसार, बीएनएसएस की धारा 528 के तहत यह आवेदन खारिज किया जाता है।

17 मार्च, 2026

(माननीय न्यायमूर्ति सुभाष चंद्र शर्मा)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"